155

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

III/निगरानी/सतना/भू०रा/2017/3872

रामाधार सिंह उम्र 57 वर्ष तनय गंगाप्रसाद सिंह सा. गुडुवा तह. उचेहरा जिला सतना (म.प्र.)

.... निगरानीकर्ता

बनाम

चन्द्रशेखर सिंह उम्र 53 वर्ष तनय श्री बाबूलाल सिंह सा. गुडुवा हाल मुकाम भरहुत तह. उचेहरा जिला सतना (म.प्र.)

....गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी उचहेरा के प्रकरण कमंक 21/अपील/16–17 आदेश दिनांक 21.08.2017

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू. राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

निगरानी के आधार निम्न हैं :–

1– यह कि, उपरोक्त उन्मान अपील माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय उचहेरा के न्यायालय में प्रचलनशील है जिसमें माननीय अनुविभागीय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ
प्रकरण कमांक तीन–निगरानी / सतना / भू.रा. / 2017 / 3872

थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-10-2017	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी उचेहरा जिला सतना के प्र0क0 21 / 16–17 अपील में पारित आदेश दि0 21–8–2017 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है। निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने जा चुके हैं। 2 / आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष धारा 59 , 172 (4) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर मांग रखी थी कि आवेदक व्दारा भूमि का व्यपवर्तन कराये बिना निर्माण कार्य कर मकान बनाया जा रहा है इसलिये रोक लगाई जावे। अनुविभागीय अधिकारी उचेहरा ने इस आवेदन के प्राप्त होने पर अंतरिम आदेश दिनांक 21–8–17 से निम्नानुसार निर्णय लिया है :– " धारा 59 व 172 का आवेदन अपीलांट व्दारा पेश । रा0नि0 से रिपोर्ट बुलावें व जवाव हेतु। 12–9–17 " आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि तहसीलदार उचेहरा के न्यायालय में बेदखली का आवेदन खारिज हुआ है एंव व्यवहार न्यायाधीश उचेहरा के ने भी कोई अतिक्रमण न होने वावत् आदेश पारित किया है परन्तु अनुविभागीय अधिकारी व्दारा गैरनिगरानीकर्ता के अभिभाषक के दवाव में आकर विधि विरूद्व कार्यवाही करके निगरानीकर्ता को परेशान किया जा रहा है जिस पर रोक लगाई जाय। अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 21–8–17 के अनुसार धारा 59 व 172 के आवेदन पर रा0नि0 से मौके की रिपोर्ट बुलानें व जवाव हेतु 12–9–17 नियत करने का निर्णय है स्पष्ट है कि जब मौके की स्थिति क्या है ? जानकारी उपलब्ध होगी तभी धारा 59 सहपठित 172 के आवेदन पर दोनों पक्षों को सुना जाकर निर्णय लिया जा सकेगा। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार की विसंगति नहीं होने से निगरानी सारहीन है एंव इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है। सदस्य	